1

माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल, ग्वालियर (म०प्र०)

प्रकरण कमांक /2012 निगरानी R-2184-I/2011

श्री विमल मु-४२५ अभि० द्वारा दिनांक 27-12-11 को प्रस्तुत।
27-12-11
ASO

1. जमुनाप्रसाद पुत्र स्व0 श्री धनुआ, आयु 55 साल, व्यवसाय भूमिहीन कृषक, निवासी तरगुवा, तहसील व जिला दतिया (म0प्र0)
2. भरोसी पुत्र श्री मसलती अहिरवार,
3. रामप्रसाद पुत्र गुमान मेहतर,
4. लल्लू पुत्र खमले आदिवासी,
5. लक्ष्मण पुत्र चन्ने कोरी, समस्त निवासीगण तरगुंवा, तहसील व जिला दतिया (म0प्र0)

—— निगरानीकर्ता

बनाम्

1. ओमप्रकाश पुत्र श्री विश्वनाथ, आयु लगभग 50 साल, व्यवसाय कृषक, निवासी ग्राम तरगुंवा, तहसील व जिला दतिया (म0प्र0)
2. मध्यप्रदेश शासन द्वारा कलेक्टर, जिला दतिया (म0प्र0)

—— अनावेदकगण

2

पुनरीक्षण याचिका अन्तर्गत धारा 50 मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता 1959 विरूद्ध आदेश दिनांक 27-09-2011 पारित द्वारा अपर कलेक्टर, जिला दतिया (म0प्र0) प्रकरण कमांक 03/ निगरानी/2007-08 वजनवान जमुनाप्रसाद बनाम् ओमप्रकाश व अन्य, जिसके द्वारा आवेदकगण द्वारा प्रस्तुत निगरानी को सारहीन मानते हुए निरस्त की गई को अपास्त कराने बावत्।

आवेदकगण की ओर से आवेदनपत्र निम्न प्रकार प्रस्तुत है :-

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य :-

1. यहकि, आवेदकगण एवं अनावेदक कं0 1 ग्राम तरगुंवा, जिला दतिया के स्थायी निवासी होकर कृपक का कार्य करते हैं । आवेदकगण भूमिहीन कृपक की श्रेणी में आता है ।
2. यहकि, पूर्व वृत्त नायव तहसीलदार वृत्त उन्नाव तहसील दतिया के प्रकरण कमांक 20/अ-19/2002-2003 में पारित आदेश दिनांक 10-1-2003 के विरूद्ध ग्राम के भूमिहीनों को भूमि वंटन होने से अनुविभागीय अधिकारी दतिया के न्यायालय में अनावेदक कमांक 1 ओमप्रकाश निवासी तरगुंवा द्वारा अपील प्रस्तुत की गयी थी, जिसमें वाद कार्यवाही पश्चात् अनुविभागीय

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक–निगरानी–2184–एक/2011 जिला–दतिया

जमुनाप्रसाद आदि विरूद्ध ओमप्रकाश व म.प्र.शासन

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों के हस्ताक्षर
6–08–2019	प्रकरण का अवलोकन किया। आवेदक द्वारा यह निगरानी अपर कलेक्टर के प्रकरण क्रमांक 03/निगरानी/2007–08 में पारित आदेश दिनांक 27–09–2011 के विरूद्ध इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है। म0प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 में दिनांक 27–07–2018 को हुये नवीन संशोधन के प्रभावशील दिनांक 25–9–2018 के फलस्वरूप संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(क) के अंतर्गत सुनवाई हेतु प्रकरण आयुक्त ग्वालियर संभाग, ग्वालियर के न्यायालय को अंतरित किया जाता है। 3/ पक्षकार दिनांक 09–09–2019 को आयुक्त के न्यायालय में सुनवाई हेतु उपस्थित हों। (जे0के0 जैन) सदस्य	